

मेरा द्य मे श्राविक विभाजन प्रस्ताव  
 वाद पत्र को अन्तिम डिग्री किया जाने हेतु  
 सहमति दी जा चुकी है अतः पत्रावली का  
 सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाकर  
 श्राविक विभाजन प्रस्ताव वाद पत्र को  
 अन्तिम डिग्री किया जाता है। अन्तिम डिग्री  
 पर्याप्त है। व प्रतिवादीगण। लगायत  
 को जरुरे छाया निर्देशना से पावन्द  
 किया जाता है कि वह वादी के कठजोड़  
 श्रुत वाद ग्राह्य आराजी में हिसै अउसाट  
 काक्षा करने में उपयोग उपयोग करने  
 में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न  
 नही करे। व नदसीलवाट वरसी को आदेशित  
 किया जाता है कि न्यायालय आदेशों का पालन  
 करना सुनिश्चित करे। न्यायालय धजा के  
 निर्णय व मूलवाद की प्रति के <sup>प्रमाण</sup> उक्त  
 मूल प्रति विभाजन प्रस्ताव की नदरीर  
 के नदसीलवाट वरसी को न्यायालय आदेशों  
 का पालना हेतु भेजा जावे।

पत्रावली जमल श्रुतार होकर यजिगठकर  
 से कम होने पर वास्विल पफार है।

निर्णय आज दिनांक २७/११/१७ को  
शुले न्यायालय डेव शैर इजलास  
रुजाया गया!

*Number*

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
बस्ती जिला-जयपुर